रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP Ctl

कलेक्टर

जज अदालत .... मुकाम .... बांदीकुई

धर्मेन्द्र कुमार सैनी .... बनाम .... तहसीलदार बांदीकुई

केस्म मुकदमा .... नं० .... 127 .... सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/12/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार पुत्रान मिठ्ठनलाल, संतोष, श्यामा, संजु द्वारा नाम दुरूस्त करवाने का प्रा० पत्र न्यायालय में दिनांक 20/11/2024 को पेश किया गया। प्रस्तुत प्रा० पत्र के संबंध में तहसीलदार बांदीकुई को न्यायालय द्वारा के पत्रांक 1387 दिनांक 20/11/2024 के द्वारा रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 7254/2.12.2024 मय मौका पर्चा रिपोर्ट न्यायालय में भिजवाई गई। तहसीलदार बांदीकुई ने ग्राम भोज्यावाला की जमाबंदी संवत् 2075-78 के खाता सं. 16 में खातेदार जितेन्द्र पुत्र मीठुलाल, धर्मेन्द्र पुत्र मीठुलाल, श्यामा पुत्री मीठुलाल, संजु पुत्री मीठुलाल, संतोष पुत्री मीठुलाल के स्थान पर जितेन्द्र पुत्र मिठ्ठनलाल, धर्मेन्द्र पुत्र मिठ्ठनलाल, संजु पुत्री मिठ्ठनलाल, श्यामा पुत्री मिठ्ठनलाल, संतोष पुत्री मिठ्ठनलाल शुद्ध करने की अभिशंषा की गई। न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रा० पत्र एवं दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र ग्राम नंदेरा की जमाबंदी खाता संख्या 18 ग्राम भोज्यावाला की जमाबंदी खाता संख्या 16, ग्राम पाण्डितपुरा की जमाबंदी संख्या 362 का अवलोकन कियां गया। प्रार्थीगण के दस्तावेजात में पिता का नाम मिठ्ठनलाल तथा निर्वाचन नामावली 1991 में भी प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के पिता का नाम मिठ्ठनलाल अंकित है जबकि ग्राम भोज्यावाला के खाता से नया 16 पुराना 11 में पिता का नाम मीठूलाल अंकित है। तहसीलदार बांदीकुई ने भी मौका पर्चा रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पिता का नाम मिठ्ठनलाल शुद्ध करने की अभिशंषा की गई है। अत: प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर ग्राम भोज्यावाला की जमाबंदी खाता संख्या नया 16 पुराना 11 में प्रार्थी जितेन्द्र, धर्मेन्द्र पुत्रान मीठूलाल, श्यामा, संजु, संतोष पुत्रियान मीठूलाल के स्थान पर मिठ्ठनलाल शुद्ध नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: आदेश है कि ग्राम भोज्यावाला संवत 2075-78 खाता सं. नया 16 पुराना 11 में प्रार्थीगण धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, संतोष, श्यामा व संजु के पिता का नाम मीठूलाल के स्थान पर शुद्ध नाम मिठ्ठनलाल दर्ज किया जावे। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार उक्त आदेश का अंकन राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद करे। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 05/12/24 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।
	[signature] 05/12/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई